जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्र0सं0 24/2017 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नाईयावाली श्रीगंगानगर बनाम 1–श्रीमति आवन्तिका सोनी पत्नि राजेश सोनी निवासी मकान नम्बर 70 एफ ब्लॉक, श्रीगंगानगर 2–राजेश सोनी पुत्र श्री रिछपाल सोनी जाति सोनी निवासी, निवासी मकान नम्बर 70 एफ ब्लॉक, श्रीगंगानगर

04–10–2017

प्रार्थी स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा नाईयावाली श्रीगंगानगर के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित है। उनकी बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा, नाईयावाली श्रीगंगानगर के अभिभाषक का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रा0पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है **(जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा)** कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीया श्रीमति आवन्तिका सोनी पत्नि राजेश सोनी एवं राजेश सोनी पुत्र श्री रिछपाल सोनी जाति सोनी निवासी मकान नम्बर 70 एफ ब्लॉक श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 6,80,000/– रूपये (अखरे रूपये छः लाख स्सी हजार मात्र) ऋण दिनांक 21.07.2015 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी राजेश सोनी ने अपना वाहन मारूती शिफट डिजायर वी.आई.पी. रजि0 नम्बर आरजे 13 सीबी 5201 को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा ऋण एव ब्याज का भुगतान नही करने के कारण उनका ऋण खाता दिनांक 17.03.2016 को एनपीए हो गया है। अप्रार्थीयान ऋणीयों की ओर दिनांक 19.03.2016 तक ऋण राशि 6,80,660–रूपये एवंम आगे का ब्याज तथा अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थीयान को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजि0 नोटिस दिनांक 19.03.2016 को जारी किया गया। दिनांक 21.03.2016 व 26.03.2016 को नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीयान द्वारा बैंक की बकाया ऋण राशि का भुगतान नही किया है। इसलिए अप्रार्थीया श्रीमति आवन्तिकाा सोनी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा गया वाहन मारूती शिफट डिजायर वी.आई.पी. रजि0 नम्बर आरजे 13 सीबी 5201 का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने कुल 6,80,000/–रूपये ऋण राशि के रूप में दिनांक 21.07.2015 को अप्रार्थीगण श्रीमति आवन्तिका सोनी पत्नि राजेश सोनी एवं राजेश सोनी पुत्र श्री रिछपाल सोनी जाति सोनी निवासी मकान नम्बर 70 एफ ब्लॉक श्रीगंगानगर के नाम स्वीकृत किया था जिसकी सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीया श्रीमति आवन्तिका सोनी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास अपना वाहन मारूती शिफट डिजायर वी.आई.पी. रजि0 नम्बर आरजे 13 सीबी 5201 बधंक रखा। प्रार्थी बैंक के प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण को बैंक द्वारा दिनांक 19.10.2016 को अधिनियम की धारा 13(2) के

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस जारी किये और उक्त नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिसो पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप या कोई अभ्यावेदन बैंक को प्राप्त नही हुआ है और न ही उनके द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा करवाई गई है।

चूंकि अप्रार्थी सं0 1–श्रीमति आवन्तिका सोनी ऋणी 2– राजेश सोनी सह ऋणी को धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि0 डाक से भिजवाये गये दोनो नोटिस पोस्ट ऑफिस के अलग–2 पत्र दिनांक 13.02.2017 के अनुसार वितरण हो चुके है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक की कोई बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई गई है और न ही उनके द्वारा कोई जबाब या अभ्यावेदन प्रार्थी बैंक को प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया श्रीमति आवन्तिका सोनी ऋणी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा गया वाहन मारूती शिफट डिजायर वी.आई.पी. रजि0 नम्बर आरजे 13 सीबी 5201 का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

अतः स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा नाईयावाली, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीया श्रीमति आवन्तिका सोनी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा गया वाहन मारूती शिफट डिजायर वी.आई.पी. रजि0 नम्बर आरजे 13 सीबी 5201 का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त वाहन का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04–10–2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर